

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 21, बुधवार, शाके 1948- अगस्त 12, 2026 Sravana 21, Wednesday, Saka 1948- August 12, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।
कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग
अधिसूचना

जयपुर, जून 08, 2026

संख्या F.5(14)A&C/2022-00310 :-चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूची के निर्दिष्ट भवन प्राचीन एवं स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

अतः राजस्थान स्मारक, पुरावेष, स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम, 1961 (राजस्थान अधिनियम संख्या 19, सन् 1961) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद् द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट भवन एवं उससे संबंधित संरचनाओं को संरक्षित स्मारक घोषित करने का अभिप्राय रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित सूचना द्वारा सूचित करती है कि इस अधिसूचना के राजस्थान के राज-पत्र में प्रकाशित होने से 2 माह के अंदर उक्त भवन एवं उससे संबंधित संरचनाओं में हित रखने वाले व्यक्ति अपनी आपत्तियां राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त आपत्तियां शासन सचिव, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत की जाएं। उक्त नियत समय में प्राप्त आपत्तियों पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

अनुसूची

क्र.स.	स्मारक का नाम	तहसील	जिला	महत्व
1.	सेन्ट जॉन बैपटिस्ट चर्च बांदीकुई	बांदीकुई	दौसा	ब्रिटिशकालीन सेन्ट जॉन बैपटिस्ट चर्च बांदीकुई प्रोटेस्टेंट समुदाय से संबंधित है। यह चर्च बांदीकुई रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर रेलवे की भूमि पर बना हुआ है। चर्च इण्डोगोथिक स्थापत्य का उदाहरण है। चर्च के निर्माण में लाल व बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। चर्च की छत पत्थर एवं लकड़ी से बनी हुई है। यह चर्च ब्रिटिशकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है।

अनुपम कायल,
शासन उप सचिव।

16092

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।